एकल नारी की आवाज

vad % 28] ekg % ekp] o"k % 2012] futh i:lkj grq

एकल महिलाऐं संगठित होकर अपने हक की आवाज बुलंद करे : ममता शर्मा

• राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा को दिया एकल महिलाओ की मांगो का मांग पत्र

• संगठन के जिला स्तरीय सदस्य सम्मेलन मे उठे कई मुद्दे।

''एकल महिलाऐं जब तक अपने हकों के लिए अपनी आवाज बुलन्द नही करेंगी तब तक हमें कुछ नही मिलने वाला, हम संगठित होकर ही अपने अधिकारों को ले सकते हैं। मैं आपकी विधवा पेंशन बढ़ाने व आपकी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार से आयोग की तरफ से सिफारिश करुंगी।'' यह बात राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा ने एकल नारी शक्ति संगठन के तीन दिवसीय जिला स्तरीय सदस्य सम्मेलन, कोटा में बहनों को उद्‌बोधन देते हुए कही।

आयोग अध्यक्ष के सामने परित्यकता महिलाओं ने कई समस्याऐं रखी जिसमें पुलिस सुनवाई नही करती है, कोर्ट से आदेश होने के बाद भरण पोषण ना मिलना, परित्यकता पेंशन नही मिलना इस हेतु नियमों में बदलाव की मांग, घरेलू हिंसा अधिनियम में लम्बी प्रक्रिया व समय पर राहत नही मिलने की बात रखी गयी व पुलिस के मामले में लिखित शिकायत भी दी गई। पुलिस सम्बधित मामलों में उन्होंने कहा कि वे पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर समस्या का समाधान करेंगी व यदि अत्याचार या महिला के मामले में कहीं सुनवाई नही हो तो राष्ट्रीय महिला आयोग का पता दिया गया कि आप लिखित मे यहां शिकायत भेज सकती हैं।

इस बार संगठन की ओर से तीन स्थानों पर जिला स्तरीय सदस्य सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें पहला सम्मेलन दिनांक 19 से 21 जनवरी 2012 को ससवाणी माताजी का मन्दिर, सुराणों की बगीची, माही दरवाजा नागौर में आयोजित किया गया। सम्मेलन में नागौर जिले से 3 ब्लॉकों लाडनूं, पर्वतसर व ढेगाना की 60 एकल महिलाओं ने भाग लिया। दूसरा सम्मेलन दिनांक 27 से 29 फरवरी तक लाला लाजपतराय सभा भवन, कोटा जिले मे आयोजित किया गया जिसमें कोटा जिले के छः ब्लाकों सांगोद, सुल्तानपुर, इटावा, कोटा शहर, लाडपुरा व खैराबाद से 226 महिलाओं ने भाग लिया। तीसरा सम्मेलन बाड़मेर जिले में दिनांक 28 फरवरी से 1 मार्च, 2012 को सिद्धेश्वर महादेव मन्दिर, सफेद आंकड़ा, बाड़मेर में आयोजित किया गया जिसमें बाड़मेर जिले के 4 ब्लॉकों सिणधरी, बाड़मेर, बायतु और चौहटन की 125 महिलाओं ने भाग लिया।

जिला स्तरीय सदस्य सम्मेलन का मुख्य उद्‌देश्य एकल महिलाओं की समस्याओं की पहचान व विश्लेषण करना, संगठन का महत्व व त्रिस्तरीय ढांचा समझना, आम सदस्यों की भूमिका पर प्रकाश डालना, गांव स्तरीय आयोजना बनाना, व राजनैतिक प्रशासनिक ढांचा समझना, महिलाओं से सम्बधित कानून जानना है।

कोटा जिले में आयोजित तीन दिवसीय सम्मेलन का उद्‌घाटन कोटा की मेयर डॉ0 रत्ना जैन द्वारा दीप प्रज्जवल्लित कर किया गया। उद्‌घाटन मे महिलाओं को सम्बोधित करते हुऐ उन्होने कहा कि

सम्मेलन में उद्‌बोधन देती हुई राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा

''महिलाऐं संगठित होकर एक दूसरे को शक्ति दे और संगठन की सदस्य बनकर आत्म सम्मान और अव्यवस्थाओ के खिलाफ लड़ाई मे मजबूती प्रदान करें''।

इन सम्मेलनों मे अलग-अलग विभागों के अधिकारियां ` द्वारा महिलाओं को अपने-अपने विभाग से सम्बधित जानकारीयां दी गई। इन जानकारियों में जमीन संबन्धित जानकारी, पंचायत समिति में चल रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी, रोजगार गारन्टी कानून संबन्धित

-शेष पृष्ठ-5 पर

अब रुकेंगे ना किसी भी हाल...

ब्लॉक कमेटी सदस्य प्रशिक्षण में महिलाओं ने रखे अपने विचार

संगठन की ओर से इस बार कोटा कलस्टर व उदयपुर कलस्टर में पांच स्थानों पर ब्लॉक कमेटी सदस्य प्रशिक्षण आयोजित किये गये जिनमें काफी संख्या में संगठन की ब्लॉक कमेटी की सदस्याओं ने बड़े जोश के साथ भाग लिया। इस क्रम में :

पहला प्रशिक्षण : दिनांक 25 से 28 दिसम्बर 2012 तक मण्डोर पब्लिक स्कूल, जोधपुर में आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में जोधपुर जिले के औसिया, मण्डोर, सिणधरी, बायतु, खमनोर, राजसमन्द ब्लॉकों की 90 ब्लॉक कमेटी सदस्यों ने भाग लिया।

दूसरा प्रशिक्षणः दिनांक 26 से 29 दिसम्बर 2011 तक अग्रवाल धर्मशाला, अलवर में आयोजित किया गया। जिसमे अलवर जिले के थानागाजी, उमरेण, रामगढ़ व भरतपुर जिले के बयाना, रुपवास व सेवर ब्लॉक से 98 ब्लॉक कमेटी सदस्यों ने भाग लिया।

तीसरा प्रशिक्षणः दिनांक 22 से 25 जनवरी 2012 तक रावत पैलेस, दौसा मे आयोजित किया गया। जिसमें दौसा जिले के बांदीकुई, सिकराई, लालसोट, दौसा ब्लॉक व जयपुर जिले के गोविन्दगढ, बस्सी ब्लॉक स0 माधोपुर जिले के बोली ब्लॉक कुल सात ब्लॉक की 95 ब्लॉक कमेटी सदस्यों ने भाग लिया।

चौथा प्रशिक्षण : दिनांक 23 से 26 जनवरी 2012 को आस्था प्रशिक्षण केन्द्र, बेदला में आयोजित हुआ। इस प्रशिक्षण में 6 ब्लॉकों गोगुन्दा, पिण्डवाड़ा, आबूरोड़, गीर्वा, कोटड़ा उदयपुर शहर से 90 ब्लॉक कमेटी सदस्यों ने भाग लिया।

पांचवा प्रशिक्षण : दिनांक 13 से 16 फरवरी, 2012 तक धानमण्डी की धर्मशाला, बून्दी में आयोजित हुआ जिसमें बून्दी जिले के के0पाटन, तालेड़ा, हिण्डोली, नैनवां, देवली व भीलवाड़ा जिले के माण्डलगढ़ ब्लॉकों से 94 ब्लॉक कमेटी सदस्यों ने भाग लिया।

इन प्रशिक्षणों में संभागियों ने ''हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी हैं'', ''बहना चैत सके तो चैत, जमानों आयो चेतन रो'' जैसे गीत गाये व नारे लगाये। महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा हो इसके

- शेष पृष्ठ-3 पर

संगठन की दो दिवसीय राज्य स्तरीय बैठक आयोजित

संगठन हमारी जान है, मिलकर हम तूफान हैं

''संगठन हमारी जान है, मिलकर हम तूफान हैं'', ''हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी हैं'' इस प्रकार के जोश भरे नारों के साथ दिनांक 27-28 नवम्बर 2011 को रामदेव गेस्ट हाउस, जोधपुर में एकल नारी शक्ति संगठन की ओर से दो दिवसीय राज्य स्तरीय कमेटी सदस्य बैठक आयोजित की गई। जिसमें 30 जिलों के 74 संभागियों ने भाग लिया। बैठक में उपस्थित सभी संभागियों ने अपने-अपने जिलों में किये गये चार माह के संगठन कार्यो का जिलेवार प्रस्तुतीकरण किया।

जिसमें नये सदस्यों की संख्या, संगठन बिल्ला वितरण, विशेष केस, सरकारी योजनाओं से एकल महिलाओं को जोडकर दिलवाये जाने वाले लाभ व अपने-अपने जिलों में होने वाले विशेष संगठन के कार्यो की रिर्पोटिंग की गई। इस बार संगठन के कुल नये सदस्य 942 बनाये गये।

साथ ही बैठक में अन्य एजेण्डा पर भी चर्चा की गई। जिसमे 21-23 सितम्बर 2011 को उदयपुर में आयोजित किये गये परित्यकता सदस्य सम्मेलन का मूल्यांकन किया गया। जिसमें निकलकर आया कि इस सम्मेलन में दी गई जानकारियों जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ, महिला सम्पत्ति सम्बधित अधिकार, भरण पोषण अधिकार की जानकारी, परित्यकता महिलाओं से सम्बधित योजनाओं की जानकारी व संगठन की शक्ति से अपने जीवन में आ रहे संघर्षो से लड़ने के लिए परित्यकता महिलाओं को आत्मविश्वास व एक नया जोश मिला है। संभागियो द्वारा सुझाव भी मिला की समय-समय पर परित्यकता महिलाओं के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होना चाहिए।

डायन/डाकन मुद्दो पर भी चर्चा की गई जिसमें निकलकर आया कि इसके लिए एक मजबूत कानून बनना चाहिए। क्योंकि इस तरह की घटनाऐं ज्यादातर एकल महिलाओ के साथ घटती है। राष्ट्रीय आम सभा बैठक जो दिनांक 11-12 अक्टूबर को दिल्ली में हुई थी कि रिर्पोट संभागियों द्वारा बैठक मे प्रस्तुत की गई। जिसमें बताया गया कि राष्ट्रीय स्तर पर 6 राज्यों में संगठन के 82,783 सदस्य हैं। बैठक में ही आर0 वी0 फोरगोटन वुमन किताब, का विमोचन किया गया। सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना के बारे में भी चर्चा की गई। राजस्थान में मुख्यमंत्री दवा योजना किस तरह से कियान्वित हो रही है? और क्या स्थिति है? पर चर्चा की गई जिसमे संभागियों ने बताया कि अभी लागू हुई है तो कहीं दवा मिल रही है कहीं पर नहीं और पूरी दवाईयां भी उपलब्ध नही है। फिर बैठक में यू0एन0वुमन के प्रोजेक्ट पर चर्चा की गई।

बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी लोबिंग दिसम्बर माह मे करनी है और लोबिग के बिन्दुओं पर चर्चा की गई। बैठक के अंतिम दिवस में बैठक में आऐ सभी संभागियों की निर्णय अनुसार अगली राज्य स्तरीय बैठक 25-26 मार्च 2012 को बीकानेर में तय की गई।

संगठन के नैतृत्वकर्ताओं ने की सरकार के साथ लॉबिंग

एकल नारी शक्ति संगठन राजस्थान के नैतृत्वकर्ताओं के द्वारा राजस्थान के मंत्रियों, सचिवों तथा पदाधिकारियों के साथ लॉबिंग की गई। नैतृत्वकर्ताओं द्वारा दिनांक 19-दिसम्बर, 2011 को जयपुर में राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्री व सचिवों के साथ लॉबिंग की गई। लॉबिंग हेतु अलग-अलग प्रतिनिधी मण्डल बनाये गये थे जिसमें सचिव छग्गी बाई, कोषाध्यक्ष कमल पथिक, उपाध्यक्ष विद्या बंसल, कार्यकारिणी सदस्य शान्ति बाई, सावित्री देवी, मानी बाई, रेखा, अन्य मुकेश जोशी व मोहिनी बाई ने भाग लिया।

एक प्रतिनिधि मण्डल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिला और संगठन की मांगो से अवगत करवाते हुए उन्हें मांग पत्र सोंपा। मुख्यमंत्री ने संगठन सदस्यों की बात को ध्यान से सुना और कहा की आपके मांग पत्र पर गौर किया जायेगा।

एक प्रतिनिधि मण्डल समाज कल्याण मंत्री श्री अशोक बैरवा से मिला और मांग पत्र पढ़कर सुनाया इस पर मंत्री जी ने कहा कि आपकी मांगे जायज है, हम जरूर गौर करेंगे।

एक प्रतिनिधि मण्डल पंचायतीराज एंव ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेन्द्र सिंह मालवीय जी से मिला और एकल महिलाओ को बी0पी0एल0 सूची में जोड़ने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि बी0पी0एल0 सर्वे सम्पत्ति के आधार पर किया जाता है। जहां तक हो सकेगा गरीब व एकल महिलाऐं इस सूची में जरूर आयेगी।

एक प्रतिनिधि मण्डल मुख्य सचिव श्री अहमद साहब से मिला और संगठन का मांग पत्र दिया उन्होंने बहनों की बात को ध्यान से सुना और उसी समय सामाजिक न्याय एंव सशक्तिकरण विभाग की सचिव अदिती मेहता को फोन किया और कहा कि एकल नारी शक्ति संगठन की बहनों ने मांग पत्र दिया है जो मेरे पास है। मैं इन्हें आपके पास भेज रहा हूँ, इनका काम तो करना ही है।

इसके पश्चात् संगठन प्रतिनिधि मण्डल मेहता से मिला और मांग पत्र उन्हें दिया गया। उन्होंने कहा की आपकी मांगे जायज है, इस पर जरूर गौर करेंगे।

इस बार लॉबिंग हेतु संगठन के कार्यकर्ताओं को ही चुना गया ताकी उनमें जोश का संचार हो तथा उनमें आत्मविश्वास बढ़े।

संगठन की सदस्य हूँ इसलिए मैं किसी से नहीं डरती-जरीना बानो

संगठन की सदस्या ने हिम्मत दिखाकर हटवाये अवैध कब्जे

जरीना बानो ग्राम पेंच की बावड़ी, तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी में रहती है। ये संगठन की ब्लॉक कमेटी सदस्य है, संगठन की सोच जरीना बानों के कार्यो और पहनावे से साफ झलकती है। पहनावे से इसलिए कि जब इनके पति की मृत्यु हुई तो परिवार वालों के दबाव और समाज के रिति रिवाजों की वजह से ये केवल सफेद कपड़े ही पहनती थी। लेकिन संगठन से जुड़ने के बाद आज जरीना बानो रंग बिरंगे कपड़े पहनती है।

एक बार जरीना बानो के गांव में जानवरों की बीमारियों की जानकारी देने हेतु डॉक्टर व कुछ अन्य कार्यकर्ता आये थे। जानकारी लेने हेतु जरीना बानों भी वहां पर गई। वहां पर कार्यकर्ताओं ने गांव से कुछ निश्चित संख्या में औरत तथा आदमी जानकारी हेतु बुलाए थे। मिटिंग चल रही थी, कार्यकर्ता जानकारी दे रहे थे। तभी जरीना बानों ने देखा कि कुछ लोग मिटिंग से उठ कर पास ही खाली पड़े एक मैदान में गये और पत्थर-ईटे लेकर मैदान पर कब्जा करने लगे। उनको कब्जा करते देखकर मिटिंग से कुछ अन्य व्यक्ति भी वहां जाने लगे। यह बात जरीना बानों को अच्छी नहीं लगी। तब उन्होंने महिलाओं से कहा कि ये लोग तो अवैध कब्जा कर रहे हैं। इस पर कुछ महिलाओं ने जरीना जी से मना किया कि आप इस झंझट में मत पड़ों लेकिन जरीना बानों ने कहा कि मैं इन लोगों को अवैध कब्जा नहीं करने दूंगी मुझसे यह सब सहन नहीं होता। इसके बाद जरीना जी ने एक कागज लेकर उस पर प्रार्थना पत्र लिखा और उस पर सरपंच व कुछ महिला और पुरूषों के साईन करवाये। प्रार्थना पत्र में लिखा की पंचायत समिति की खाली पड़ी जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। जरीना जी का कहना था कि मैं संगठन की सदस्य हूँ इसलिए मैं किसी से नहीं डरती, ऐसे काम हम खूब करवाते हैं। इस पर वहां पर आये कलेक्टर साहब को वह प्रार्थना पत्र दे दिया। कलेक्टर साहब ने कहा कि कब्जा तो हटना ही चाहिये। इसके बाद वहां पटवारी, कानूगा आदि आये और एक जैसीबी मशीन भी लाई गई। बस फिर क्या था सारे कब्जे हटाकर वहां मैदान बना दिया। आज वहां पर बच्चे खेलते हैं। लेकिन जरीना बानो कहती है कि यहां पर जानवरों का अस्पताल बने और रविवार के दिन यहां पर हटवाड़ा लगना चाहिए। क्योंकि यह पंचायत होने के कारण काफी सारे गांव इससे जुड़े हैं। इसके लिए भी मैं काशिश करूंगी।

डायन कहने वालों को थाने तक ले आई संगठन की रामी बाई

संगठन की जिला स्तरीय सदस्य रामी बाई ग्राम बाजड़, पं0 स0 तालेड़ा जिला बून्दी, में रहती है। रामी बाई के गांव के पास में एक अन्य गांव है जिसमें जाना बाई (बदला हुआ नाम) रहती है। जाना बाई को गांव के कुछ लोग व उसके परिवार वाले देवर-देवरानी तथा जैठ-जैठानी डायन कहकर पुकारते थे।

उसके साथ काफी अत्याचार किया जाता था। डायन कहकर उससे मारपीट करते थे। एक दिन इसी तरह मारपीट होने से जाना बाई रामी बाई के पास आई और रोते हुए सारी बात बताई। रामी बाई ने कहा कि तुम घबराओ मत अब मैं और संगठन की बहने तुम्हारे साथ हैं। उसने जाना बाई से कहा कि डायन, डाकन कुछ नहीं होता, ऐसा कहने वालों को कानून में सजा का प्रावधान है। एक दिन उसी गांव में जाना बाई की जैठानी जानकी बाई (बदला हुआ नाम) का आदमी पलंग के पास चक्कर खाकर गिर गया और वह मर गया। इस पर जानकी बाई की सास ने कहा कि उसकी (जाना बाई की) बुरी नजर मेरे बेटे को भी लग गई जिससे मेरा बेटा मर गया और जाना बाई को काफी भला बुरा कहा। उन्होंने कहा कि इसको जल्द से जल्द खत्म कर दो, कुल्हाड़ीयों से काट दो या पेट्रोल डाल कर आग लगा दो। जानकी बाई जाना बाई की जैठानी लगती है। जाना बाई को बचाने वाला कोई भी नहीं था। वह रामी बाई से मिली। यहां आकर उसने रामी बाई को सारी बात बता दी। इस पर रामी बाई ने उसी समय संगठन की कुछ बहनों को साथ लेकर थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा दी।

इस पर पुलिस गांव में जाकर जाना बाई के देवर को पकड़ कर ले आई। साथ में जैठानी और सास-ससुर भी थाने पर आऐ थे। वहां पर रामी बाई उनसे मिली तब उन्होंने रामी बाई से कहा कि इसने हमें झूंठा आरोप लगा कर फंसा दिया है। तब रामी बाई ने कहा कि बिना बात कोई भी किसी को नहीं फंसाता तुम्हारा भी कोई न कोई कसूर होगा। तुम इसे डायन क्यों कहते हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं की ऐसा कहने वालों को सजा हो जाती है। अब तुम्हें भी सजा होगी। तब वे घबरा गये और कहने लगे की जो हो गया सो हो गया अब हमें इन थाने वालों से बचा लो आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। इस पर आपसी समझाईस और थाने वालों के द्वारा एक मौका और देने पर उन्हें छोड़ दिया गया। अब जाना बाई को कोई भी तंग नहीं करता, अब जाना बाई खुश है।

संगठन का राजस्थान में बढ़ रहा है कारवां

इस बार संगठन से एक नया जिला झुंझनू तथा 5 ब्लॉक नये जोड़े गये।

इसके लिए अलग-अलग ब्लॉकों में संगठन की बड़ी बैठकें रखी गई थी। अब इन ब्लॉकों में मासिक बैठकें की जायेगी और उन्हें सशक्त बनाने के लिए नई-नई जानकारियां इन बैठकों के माध्यम से प्रदान की जायेगी।

इस बार संगठन से निम्न ब्लॉक नये जोड़े गये :-

1. ब्लॉक टोडा राय सिंह, जिला टोंक का गठन दिनांक 7 जनवरी 2012 को किया गया जिसमें 165 संभागी बहनों ने भाग लिया।

2. ब्लॉक नवलगढ़ जिला झूंझनू का गठन 8 फरवरी 2012 को किया गया जिसमें 65 संभागी बहनों ने भाग लिया।

3. ब्लॉक नोहर जिला हनुमानगढ़ का गठन दिनांक 25 फरवरी को किया गया जिसमें लगभग 189 बहनों ने भाग लिया।

4. ब्लॉक लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर का गठन दिनांक 21 दिसम्बर, 2011 को किया गया जिसमें 45 संभागियों ने भाग लिया।

5. ब्लॉक झालावाड़ शहर जिला झालावाड़ का गठन दिनांक 20 मार्च, 2012 को किया गया।

परित्यकता सम्मेलन में एकल बहनों द्वारा बनाया गया एक खूबसुरत गीत

मेरा संगठन बड़ा अलबेला, अलबेला
ये तो राजस्थान में कर रहा हेला–2
कभी जयपुर के बीच,
कभी कोटा के बीच–2
कभी जोधपुर में कर रहा रैला
मेरा संगठन बड़ा अलबेला
कभी बून्दी के बीच,
कभी अलवर के बीच–2
कभी उदयपुर में कर रहा रैला
मेरा संगठन बड़ा अलबेला।

-पृष्ठ-1 का शेष

अब रूकेंगे ना किसी भी हाल ....

लिए उनका परिचय माईक के माध्यम से करवाया गया। प्रशिक्षण में कार्यकर्ताओं द्वारा संगठन का महत्व, ढांचा व ब्लॉक कमेटी सदस्याओं की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। इन प्रशिक्षणों में अलग-अलग विभागों से आये सन्दर्भ व्यक्तियों द्वारा महिलाओं सम्बधित विभाग की योजनाओं की जानकारी दी गई। इन जानकारियों में मुख्य रूप से विधवा पेंशन की जानकारी, वृद्धा पेंशन की जानकारी, पालनहार योजना के बारे में, रोजगार गारंटी कानून के बारे में, पंचायती राज व्यवस्था व महिलाओं की भागीदारी के बारे में जानकारी दी गई, विधवा पुत्री विवाह, सहयोग यौजना, विकलांग पेंशन व आस्था कार्ड की उपयोगिता पर जानकारी दी गई। वकील साहब द्वारा घरेलू हिंसा कानून, महिलाओं के जमीन व सम्पत्ति में अधिकार, भरण पोषण अधिकार कानून की जानकारियां महिलाओं को दी गई। इसके साथ ही महिलाओं को स्वास्थ्य विषय पर भी जानकारी दी गई।

प्रशिक्षणों में महिलाओं को छोटे-छोटे समूहों में बांट कर उनकी समस्याओं को पहचान कर उनकी मुख्य समस्याओं की पहचान की गई व बड़े समूहों में समस्याओं का विश्लेषण कर संगठन के माध्यम से समाधानों पर चर्चा की गई। साथ ही प्रशिक्षणों में महिलाओं को खेल, रोल प्ले, गीत आदि के माध्यम से सिखाया गया कि अपनी आवाज को कैसे उठाना है? और संगठित होकर अपने अधिकारो के लिए कैसे लडना है? प्रशिक्षणों में यहां आई संभागियो को महिला सुरक्षा एंव सलाह केन्द्र व पुलिस थाने का भ्रमण करवाया गया। जिसमें महिलाओं ने इन विभागों की प्रकिया व कार्य करने का तरीका देखा व समझा तथा विभागों के ढ़ाचे के बारे में जानकारी ली। इससे महिलाओं में एक आत्मविश्वास आया। प्रशिक्षणों के समापन दिवस मे संभागियो के विचार जाने गये और मूल्यांकन किया गया कि इस प्रशिक्षण में कैसा लगा तो कई विचार निकल कर आये कि संगठन में हमें परिवार जैसा माहोल मिला, एक नया जोश मिला व कई नयी-नयी जानकारीयां मिली। सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान कुछ महिलाओं ने कहा कि वो पति की मृत्यु के पश्चात बरसो बाद नाची है और खुलकर हंसी है। कुछ महिलाओं का कहना था कि संगठन हमारे पीहर के परिवार से भी बढकर है। प्रशिक्षणों के रात्रि सत्र में महिलाओं ने रीति रिवाजों की बेड़ियों को तोड़ते हुए अपने हाथों में मेहन्दी लगाई व माथे पर बिन्दियां सजाई। इसके पश्चात् अंतिम दिन जोश पूर्ण गीत व नारों के साथ प्रशिक्षणों का समापन किया गया।

बून्दी प्रशिक्षण में मेहन्दी लगाती हुई, दौसा प्रशिक्षण में माईक द्वारा अपने विचार व्यक्त करती हुई तथा उदयपुर प्रशिक्षण में नाटक मंचन करती हुई महिलाऐं

नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009

आपको यह जानकर खुशी होगी कि 61 वर्ष की लंबी जद्दोजहद के बाद बाल नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून, 2009 पूरे देश में लागू हो चुका है। इस कानून के लागू होने से देश के 6 से 14 वर्ष के हर बच्चे को शिक्षा का मूल अधिकार प्राप्त हो चुका है। क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में फिलहाल 12 लाख से अधिक बच्चे ऐसे हैं जो शिक्षा से वंचित हैं। ऐसे में यह कानून उनको शिक्षा के अवसर प्रदान करता है साथ ही यह बाल श्रम के उन्मूलन के लिए भी प्रभावी होगा।

बच्चों के महत्वपूर्ण हक:

- 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा 1 से 8 तक) पूर्ण होने तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा पाने का हक।
- स्कूल की पोशाक, पढ़ने की सामग्री, मध्याहन भोजन आदि नि:शुल्क प्राप्त करने का हक।
- स्कूलों में खेल का मैदान, पर्याप्त कक्षा-कक्ष, पर्याप्त शिक्षक, लड़के-लड़कियों के लिये अलग शौचालय, पुस्तकालय, साफ व पर्याप्त पीने का पानी व अन्य सुविधाएं प्राप्त करने का हक।
- स्कूल में भय मुक्त व खुला वातावरण में शिक्षा प्राप्त करने का हक।
- प्रत्येक बच्चे को आस-पास के स्कूल में प्रवेश पाने का हक।
- आयु के अनुसार निर्धारित कक्षा में प्रवेश पाने एवं इसके अनुरूप विशेष प्रशिक्षण पाने का हक।
- सभी निजी (प्राइवेट) स्कूल में गरीब एवं वंचित तबके के बच्चों के लिये एक चौथाई अर्थात 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश पाने का हक।

''नि:शुल्क'' एवं ''अनिवार्य'' बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत 'जन भागीदारी एवं निगरानी' के लिये कानूनी रूप से गठित समिति

शाला प्रबंधन समिति अर्थात स्कूल समिति
(प्रत्येक स्कूल की एक समिति)

उद्देश्य एवं भूमिका

- स्कूल के समस्त कार्यो (निर्माण, सुविधायें एवं अच्छी शिक्षा) के लिये निर्णय एवं निगरानी में भागीदारी करना।
- स्कूल के विकास की योजनायें बनाना।
- स्कूल में आई राशि, सामग्री एवं निर्माण के उपयोग पर निगरानी रखना।

साधारण सभा

सदस्य-
- समस्त माता-पिता/सरंक्षक
- समस्त शिक्षक
- संबंधित वार्ड पंच/सरपंच/प्रधान बैठकें- प्रत्येक 3 माह में

कोरम-कम से कम एक चौथाई सदस्य

कार्यकारणी समिति (15 सदस्यीय)

गठन- साधारण सभा की बैठक में होगा

सदस्य-
- अध्यक्ष- माता-पिता/संरक्षक
- उपाध्यक्ष-माता-पिता/संरक्षक
- सदस्य (11)-जिसमें 7 महिलायें एवं अन्य
- पदेन सदस्य (1)-संबंधित वार्ड पंच
- पदेन सदस्य सचिव (1)-प्रधान अध्यापक/वरिष्ठ

शिक्षक
- सदस्य (1)स्कूल का कोई विद्यार्थी
- अध्यापक (1)-महिला शिक्षिका को प्रधानता

बैठकें- प्रत्येक माह में

कोरम- कम से कम एक तिहाई

सभी निजी (प्राइवेट) स्कूल में ''दुर्बल वर्ग'' और ''असुविधाग्रस्त समूह'' के बच्चों के लिये

एक चौथाई अर्थात 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश पाने का हक

प्रावधान-

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में के अधिनियम की धारा 12 में यह प्रावधान है कि समस्त गैर सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा ऐसे माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय जिनमें कक्षा 1 से 8 तक शिक्षण कार्य होता है कक्षा 1 में अथवा पूर्व प्राथमिक कक्षा में, जैसी भी स्थिति हो, दाखिल किये जाने वाले बच्चों की कुल संख्या की कम से कम 25 प्रतिशत सीमा तक ''दुर्बल वर्ग'' और ''असुविधाग्रस्त समूह'' के बच्चों को प्रवेश देगें।

- **प्रवेश दिये गये बालक/बालिकाओं का पाठ्य पुस्तकों, पोशाकों, पुस्तकालय और सूचना, संचार की सुविधाओं के अतिरिक्त पाठ्यचर्या और खेलकूदों जैसे अधिकार और सुविधाओं के संबंध में किसी भी प्रकार का विभेद/अंतर अन्य बच्चों से नहीं किया जायेगा।**
- **प्रवेशों के प्रयोजनों के लिये आस पास का क्षेत्र या सीमाएं संबंधित ग्राम पंचायत/नगर पालिका/नगर परिषद, नगर निगम जिसके भीतर वह विद्यालय स्थित है, की भौगोलिक सीमाएं होगीं।**

  परंतु यदि किसी विद्यालय विशेष में प्रवेश के लिये आवेदनों की संख्या कमजोर वर्ग ओर वंचित समूह के बालकों लिये स्थानों की संख्या से अधिक हो तो वरीयता/प्राथमिकता उस गांव/नगर पालिका वार्ड, जिसमें ऐसा विद्यालय स्थित है के, बच्चों को दी जायेगी।
- **कोई भी विद्यालय या व्यक्ति बालक को प्रवेश देते समय किसी भी प्रकार की शुल्क नहीं ले सकता है साथ ही स्कीनिंग/टेस्ट या बच्चे की योग्यता को नहीं परख सकता है।**
- **प्रवेश दिये गये छात्रों के नाम विद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किये जायेगें।**

पात्रता-

- **माता-पिता/अभिभावक की कुल सालाना आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिये।**
- **बच्चे की उम्र 6 से 14 वर्ष के बीच होनी चाहिये। जिसे उम्र के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश दिया जायेगा।**

- : प्रक्रिया : -

- **शिक्षा का अधिकार कानून के तहत प्रवेश हेतु आवेदन पत्र संबंधित निजी स्कूल से प्राप्त कर आय प्रमाण पत्र के साथ वहीं जमा कराना होगा।**
- **आवेदकों की संख्या यदि ज्यादा होती है तो लॉटरी निकालकर बच्चों को उपयुक्त सीटों पर प्रवेश दिया जायेगा।**
- **यह प्रकिया प्रत्येक वर्ष के लिये उस विद्यालय की शुरूआती कक्षा के लिये अपनाई जायेगी।**
- **ऐसे बच्चों की कक्षा 8 तक की पढाई उस स्कूल में पढ रहे अन्य छात्रों के जैसे ही होगी और पूर्णत: निशुल्क होगी। अर्थात किसी भी प्रकार का अंतर या भेद नहीं किया जायेगा।**

बच्चों के शिक्षा के अधिकारों के हनन से संबन्धित शिकायतें सीधे इन आयोग में की जा सकती है।

शिकायत :-

- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग-5 वीं मंजिल, चन्द्रलोक भवन, 36 जनपथ, नई दिल्ली-110001

- राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग- अध्यक्ष, राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर (राज0)

मेरी यही कोशिश है कि एकल बहनों को सम्मान मिले -धूली बाई

मेरा नाम धुली बाई है। मैं राजस्थान राज्य के गांव लापिया, जिला डुंगरपुर, पंचायत समिति आसपुर की रहने वाली हूँ। मेरे दो बेटे व 3 बेटियां हैं। मेरे पति की 13 वर्ष पूर्व बीमारी से मृत्यु हो गई। लम्बी बीमारी के कारण सारी जमा पूंजी ईलाज में लग गयी। पति के बाद पांच बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी मुझ पर आ गयी। पति की मृत्यु के बाद मेरी जिन्दगी एक दम बदल गई। एकल महिला होने का दुख क्या होता है, ये मुझे समझ में आने लगा। सारे रिश्तेदारों का मेरे प्रति व्यवहार परिवर्तित हो गया। पति के शान्त होने के बाद मेरा घर से निकलना बन्द कर दिया गया तथा जबरदस्ती काले कपड़े पहनने पर मजबूर किया गया।

मेरे ससुराल वालों ने मुझसे बात करना बन्द कर दिया। जेठ मेरे साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाना चाहते थे। कई बार उन्होंने मेरी ईज्जत लूटने का प्रयास किया। मेरे विरोध करने मुझे गाली-गलौच सहन करनी पड़ती थी। बच्चे छोटे थे, इसलिये मैं सुसराल का कमरा छोड़ नही सकती थी। वो समय मेरा बहुत डर कर निकला। पांच बच्चों की जिम्मेदारी तथा कमाने का कोई जरिया नही होने पर मैंने मजदूरी करना शुरु किया। लेकिन ये भी मेरे ससुराल वालों व आस पड़ौस वालों को सहन नही हुआ। उन्हें मेरा बाहर जाना पसन्द नहीं था और पड़ौसी व गांव वालों ने मुझे ताना देना शुरु कर दिया। कहते थे, 'पति मर गया और ये बाहर घूमती रहती है'। केवल मजदुरी से मेरा व पांच बच्चों का गुजारा नही हो पा रहा था। इसलिये मैंने घास काट कर बेचना भी शुरु किया। धीरे-धीरे लोगों ने बोलना बन्द कर दिया।

गांव वालों से विधवा पेंशन के बारे में सुना तो मैं भी पंचायत समिति में फार्म जमा करवाने चली गई। पंचायत समिति में एकल महिलाओं की बैठक चल रही थी। जब मैंने अपनी समस्या उन्हें सुनायी तो उन्होंने मेरी मदद का आश्वासन दिया। संगठन की मदद से तीन माह में मेरी पेंशन पास हो गई। संगठन में जुड़ने के बाद पति के नाम की जमीन का अन्तकाल खुलवाया तथा जमीन अपने नाम करवाई। धीरे धीरे मेरी हिम्मत बढ़ने लगी।

पास ही एक गांव बड़लिया में सड़क का कार्य पास हुआ था लेकिन गांव के लोग व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण काम शुरु नही होने दे रहे थे। काम शुरु नही होने देने से बहुत से लोगों को मजदूरी नही मिल पा रही थी, सभी ने मुझसे सम्पर्क किया। इसके लिये तहसीलदार को हमने ज्ञापन दिया। अगले दिन पूरी जांच कमेटी जिसमें तहसीलदार, जिला कलेक्टर सभी आये। गांव में दोनो पक्षों के बीच बात करवायी तथा समझाईश के बाद कार्य शुरु हुआ।

साथ ही मैंने महसूस किया कि जो रितिरिवाज मुझ पर थोपे गये थे, वे अमानवीय थे। हम उन गलत रीति रिवाजों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं जैसे विधवा महिलाओं को काले कपड़े पहनने पर मजबूर करना, पति के मृत्यु के बाद 12 दिन के बाद महिलाओं का घर से निकलना बन्द करना, महिलाओं का शुभ कार्यक्रमों में भाग न लेने देना आदि। महिलाओं की समस्याओं को लेकर संगठन की बहनों के साथ मैं तीन बार मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों के साथ लाबिंग के लिये भी जा चुकी हूँ। मैंने साक्षरता प्रशिक्षण भी लिया है तथा अब पढ़ लिख सकती हूँ।

वर्तमान में मैं स्थानीय थाने में महिलाओं की समस्याओं के समाधान हेतु बनायी गयी कमेटी की सदस्या हूँ। आज तक मैंने महिला अत्याचार के जमीन, अत्याचार, बलात्कार, डाकन, मारपीट सम्बन्धी 35 केस सुलझाएं है। मेरी कोशिश यही है जो मुश्किले मैंने देखी है वे अन्य एकल महिलाओं को सहन नही करनी पड़े और उन्हें भी सम्मान मिले।

-पृष्ठ-1 का शेष

एकल महिलाऐं संगठित होकर अपने हक की आवाज को...

बाड़मेर जिला सम्मेलन में रैली निकालती हुई बहनें

जानकारी, नरेगा के बारे में जानकारी, जिला परिषद की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा सार्वजनिक खाद्य वितरण प्रणाली की जानकारी, महिला सुरक्षा एंव सलाह केन्द्र से सम्बन्धित जानकारी, महिला घरेलू हिंसा अधि ानियम, महिला सम्पत्ति सम्बधित अधिकार व भरण पोषण एक्ट के बारे में जानकारी दी गई।

सम्मेलनों में कार्यकर्ताओं द्वारा महिलाओं को संगठन का महत्व, ढांचा तथा राजनैतिक व प्रशासनिक ढांचा, संगठन के आम सदस्यों की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। इन सम्मेलनों के अन्तिम दिवस मे सम्मेलन में आई सभी संभागीयो द्वारा सम्मेलन स्थल से जिला क्लेक्ट्रेट तक जोशपूर्ण गीत-नारो के साथ रैली निकाली व अपनी मांगो का ज्ञापन दिया गया।

: ज्ञापन :

1. सभी गरीब विधवाओं और परित्यकता महिलाओं की पेंशन राशि 500 रूपये से बढ़ाकर 1000 रूपये की जाये व बेटे का नियम हटाया जाये। (राज0 सरकार के चुनावी घोषणा पत्र मे 750/रु पेंशन का प्रावधान दिया गया था जिसमें उम्र का कोई जिक नहीं था। परन्तु 750 रूपये पेंशन 75 वर्ष से उपर की उम्र की महिलाओं को ही दी जा रही है)

2 परित्यकता महिलाओं को परिभाषित किया जाये।

3 परित्यकता पेंशन के नियम में यह भी जोड़ा जाये की जो परित्यकता महिलाऐं तीन वर्षो से अपने पति से अलग रह रही हैं और ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत द्वारा व शहरी क्षेत्र में चेयरमेन या वार्ड पार्षद द्वारा प्रमाणित किया जाता है तो उन्हें विधवा महिलाओं को दी जाने वाली सभी सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाये।

4. 60 वर्ष से अधिक उम्र की सभी गरीब विधवा महिलाओं का वृद्धा पेंशन दी जाये।

5. डायन/डाकन के लिए मजबूत कानून बनाये जाये। और कानून जल्दी पास किया जाये।

6. ''राजस्थान सरकार की आजिविका मिशन की नीति'' में एकल महिलाओं के लिए शिक्षा, उम्र, व रोजगार प्रशिक्षण का चयन में प्राथमिकता के आधार पर नीति में विशेष बदलाव किया जाना चाहिए। क्योकि संगठन व गांव में ज्यादा एकल महिलाऐं पढ़ी-लिखी नहीं हैं और उम्र के मापदण्ड में भी बदलाव 16-35 वर्ष के स्थान पर 16 से 45 या 50 वर्ष हो।

संगठन की बहनों ने अपनी आवाज को चित्रों और नारों के माध्यम से कागज पर ऐसे उकेरा

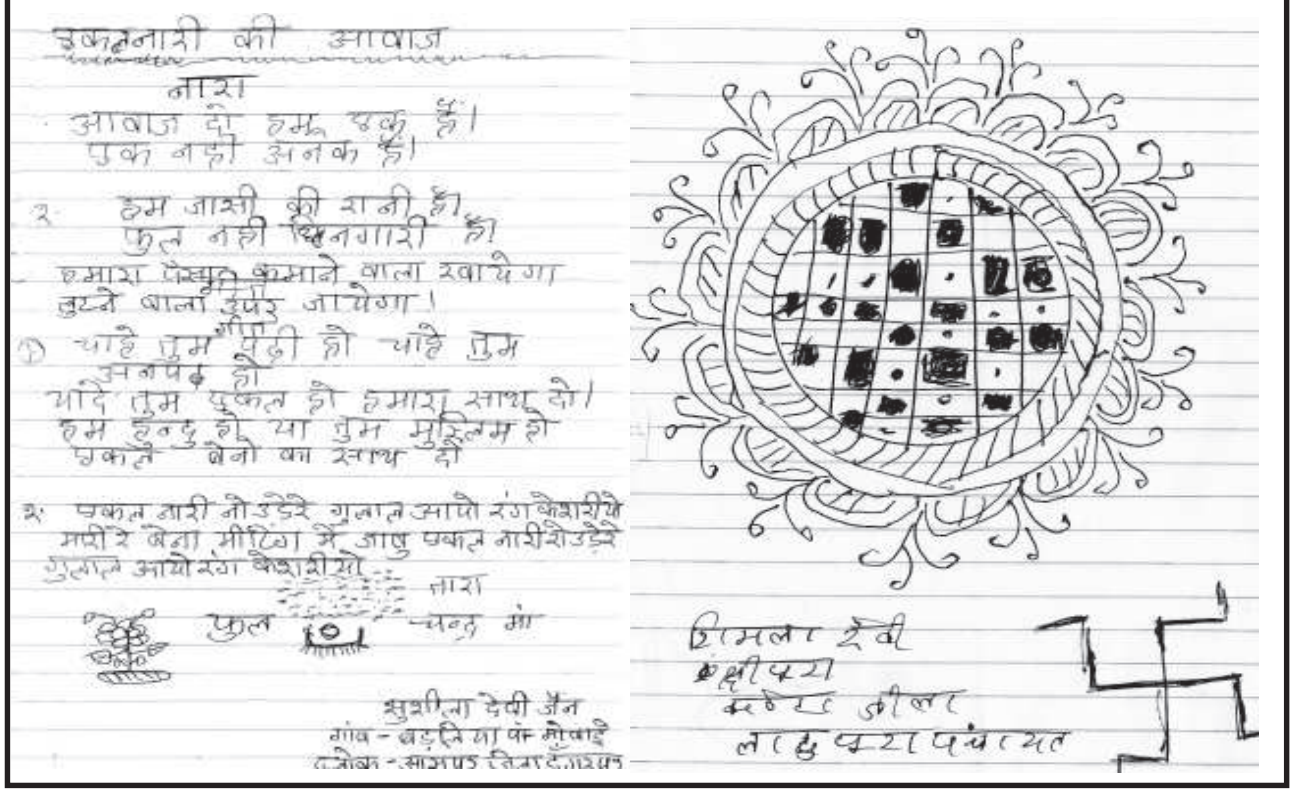

साक्षरता शिविर में एकल बहनों ने सीखा पढ़ना लिखना

आस्था संस्थान की ओर से दिनांक 1 से 5 जनवरी 2012 को धानमण्डी की धर्मशाला, बून्दी में पांच दिवसीय साक्षरता शिविर लगाया गया। इसमें एकल नारी शक्ति संगठन की 40 के लगभग एकल बहनों ने जोश के साथ भाग लिया। इस अवसर पर संगठन की कार्यक्रम समन्वयक चन्द्रकला शर्मा महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि समाज में महिलाओं को ऊंचे दर्जे पर लाने के लिए पढ़ना और लिखना आवश्यक हो गया है। आपके पढ़ने-लिखने से संगठन में ओर मजबूती आयेगी तथा संगठन भी आगे आप को ही चलाना है। संगठन आगे बढ़ेगा तो आप लोगों की समस्याओं का भी निवारण होगा।

साक्षरता शिविर प्रभारी रेणुका भटनागर ने कहा कि यहां से ये महिलाऐं अक्षर ज्ञान, स्वर, व्यंजन, गिनती व जोड़-बाकी करना सीख कर जायेंगी। शिविर के कार्यक्रम संचालक सोहन लाल गमेती ने बताया कि शिविर में आई महिलाओं ने अपने जीवन में कभी भी पढ़ने लिखने से संबन्धित के काम नहीं किये लेकिन आज ये सब सोचती हैं कि पढ़ना लिखना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। साक्षरता के इस शिविर में महिलाओं ने अक्षरज्ञान, स्वर, व्यंजन एवं मात्राओं का ज्ञान पाया और इसके साथ ही 1 से 100 तक कि गिनती लिखना सिखाया गया।

यहां आई कुछ बहनों ने कहा कि हमें यकीन नहीं आ रहा है कि ये सब हमने लिखा है। पढाई-लिखाई के साथ-साथ शिविर में आई बहनों ने अपने जीवन में आने वाले दुःख व समस्याओं को कहानी व केस स्टेडी के माध्यम से रखा व समझा कि ये परेशानीया हमारे जीवन में क्यों आती है। विचार करने पर निकल कर आया कि काफी सारी परेशानीयां अनपढ़ होने के कारण पैदा होती है। रेणुका भटनागर ने बताया कि शिविर में 33 महिलाओं को अक्षर ज्ञान व गिनती 1 से 100 तक सिखाई गई है तथा वे 7 महिलाऐं जो पहले भी ऐसे साक्षरता शिविर में भाग ले चुकी है जैसे सावित्री-झालावाड़, रामकन्या - बारां, हेमलता-बांरा, शिमला-कोटा, शान्ति बाई - जयपुर, प्रेम बाई व रामभरोसी-बांरा। इन महिलाओं ने कहानीयां पढ़ना, चिट्ठी लिखना-पढ़ना, बैठक रिपोर्ट लिखना और गणित में जोड़ बाकी का हिसाब करना, घर का हिसाब संगठन का हिसाब, समूह का हिसाब आदि करना सीखा है। इन महिलाओं का इरादा है कि हम और आगे पढ़े और आगे बढ़े।

संगठन ने बचाई लाजो बाई की लाज

लाजो बाई पंचायत समिति किशनगढ़, जिला अजमेर की रहने वाली है। लाजो बाई संगठन के किशनगढ़ ब्लॉक की ब्लॉक कमेटी सदस्य है। ये बहुत गरीब एकल महिला है तथा मेहनत-मजदूरी करके अपना पेट पालती है। एक बार लाजो बाई मजदूरी करने के लिए गांव से बाहर गई, वहां पर लाजो बाई के मामा का लड़का भी मजदूरी करने आया हुआ था। ये दोनों साथ-साथ मजदूरी करने लग गये। इधर गांव में गांव वालों ने लाजो को यह कह कर बदनाम करना शुरू कर दिया कि लाजो बाई तो उसके मामा के लड़के के साथ भाग गई और उसके साथ ही रहती है। इस तरह से लाजो बाई को समाज के लोगों ने समाज से बाहर कर दिया। लाजो बाई अपनी लाज बचाने के लिए गांव वालों के सामने काफी गिड़गिड़ाई, लेकिन गांव वाले कहां मानने वाले थे। फिर लाजो बाई ने अपनी समस्या संगठन की ब्लॉक कमेटी मिटिंग में सदस्यों के सामने रखी। इस पर संगठन की सदस्यों ने गांव में ही एक बड़ी बैठक बुलवाई। इस बैठक में गांव वालों को भी बुलाया गया था। यहां सदस्यों ने गांव वालों के सामने कहा कि यदि समाज वाले लाजो को इज्जत के साथ समाज में वापस नहीं लेते हैं तो एक ही तरीका है कि लाजो का रिश्ता उसके मामा के लड़के के साथ कर दिया जाये। फिर सदस्यों ने गांव वालों से पूछा आपमें से कौन ऐसा चाहता है। इस पर कोई भी गांव वाला नहीं बोला। फिर लाजो ने समाज के लोगों के सामने कहा कि हमारा रिश्ता ऐसा नहीं है, हम तो भाई-बहन के समान रहते हैं। तब गांव वालों और समाज के लोगों ने संगठन सदस्यों के सामने माफी मांगी और कहा कि हमने गलती से लाजो को समाज से बाहर कर दिया इसका हमें खेद है। इसके बाद समाज के लोगों ने दण्ड स्वरूप 1100/-रूपये लाजो बाई को दिलवाये। आज लाजो बाई अपने गांव में इज्जत के साथ रह रही है।

lnL; e] cqd iksLV

Jheku@Jherh --

irk --

------------------ fiu dksM ------------------

एकल नारी शक्ति संगठन के सदस्यों की संख्या

क्र.सं.	जिला	ब्लॉक	सदस्य
1.	अजमेर	9	3968
2.	राजसमंद	5	1867
3.	सिरोही	3	831
4.	डूंगरपुर	5	968
5.	बांसवाड़ा	6	628
6.	उदयपुर	8	2886
7.	भीलवाड़ा	6	1988
8.	जोधपुर	5	936
9.	नागौर	3	1697
10.	जालोर	2	898
11.	पाली	4	1317
12.	चित्तौड़गढ़	4	793
13.	टोंक	5	778
14.	बारां	6	2178
15.	बूंदी	4	1302
16.	अलवर	3	926
17.	सवाईमाधोपुर	5	975
18.	जयपुर	4	1175
19.	कोटा	6	1819
20.	दौसा	4	1097
21.	बाड़मेर	4	693
22.	सीकर	4	557
23.	चुरू	3	1934
24.	झालावाड़	6	2418
25.	जैसलमेर	3	1054
26.	करौली	3	683
27.	प्रतापगढ़	4	613
28.	भरतपुर	3	378
29.	बीकानेर	2	300
30	हनुमानगढ़	2	68
31	झुंझनू	1	
		132	37,725

यदि कोई एकल महिला, एकल नारी शक्ति संगठन के बारे में कोई जानकारी चाहती है या सदस्य बनना चाहती है, अथवा अपने क्षेत्र को संगठन से जोड़ना चाहती है तो वह निम्न पते पर सम्पर्क करें -

एकल नारी शक्ति संगठन

- : पता : -

39, खारोल कोलोनी, उदयपुर-313004 (राज.)

फोन :0294-2451348 फैक्स :0294-2451391

3-पीपल्दा हाऊस, सिविल लाईन, कोटा -324008

फोन : 0744-2450726 फैक्स : 0744-2329536

ईमेल : astha39@gmail.com

ईमेल : enss_kota@yahoo.com

ईमेल : ensskota@gmail.com

Website: www.strongwomenalone.org